फा.सं. ई-1-5/2018-पीएसए
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
20, अशोक रोड़, संचार भवन, नई दिल्ली-110001

****

दिनांक: 11 फरवरी, 2020

विषय: केन्द्रीय सरकार के अनुसूची "क" के अंतर्गत आने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) नामत: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)- में गवेक्षण-सह-चयन प्रक्रिया के जरिए प्रतिनियुक्ति/तत्काल आमेलन आधार पर निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्ति।

भारत सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड में 75,000-1,00,000/-रू.-(आईडीए) के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति/तत्काल आमेलन आधार पर निदेशक (वित्त) की नियुक्ति करने के लिए अध्यक्ष, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की अध्यक्षता में एक गवेक्षण-सह-चयन समिति (एससीएससी) गठित की है। इस पद से जुड़े कार्यों के विवरण की प्रति संलग्न है।

2. बीएसएनएल दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अनुसुची "क" की श्रेणी में आने वाला मिनीरत्न सीपीएसई है तथा यह दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश भर में दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।

3. इस पद का पात्रता विवरण और आवेदन के प्रपत्र सहित पद के विवरण (जेडी) को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट **http://www.dot.gov.in.** से डाउनलोड किया जा सकता है।

4. अनुरोध है कि कार्य विवरण में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुसार उक्त पद के लिए योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के नामों को वरिष्ठता के क्रम में संगत दस्तावेजों की प्रति सहित निम्नलिखित पते पर भिजवाएं ताकि अपेक्षित विवरण इस कार्यालय को हर हालत में दिनांक 13.03.2020 को 3:00 **बजे तक** प्राप्त हो जाए।

सचिव (दूरसंचार),
दूरसंचार विभाग,
कमरा सं. 415, संचार भवन,
20 अशोक रोड़, नई दिल्ली।
दूरभाष: 011-23036190, फैक्स: 011-23717416

5. सुविधा के लिए उक्त दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रति को dirpolicy-dot@gov.in पर ईमेल भी करें।

6. आवेदक को अपना **आवेदन अपने संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से भेजना** चाहिए तथा आवेदक अनिवार्यतया यह भी सुनिश्चित करें कि **आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि यानि दिनांक 13.03.2020 तक** उनका आवेदन दूरसंचार विभाग में प्राप्त हो जाए।

7. इस संबंध में यह भी अनुरोध है कि इच्छुक अभ्यर्थियों की सतर्कता प्रोफाइल सहित पिछले दस वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट को सुलभ रखने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाए। [(i) पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाई गई शास्ति, यदि कोई हो तो (ii) शुरू की गई/शुरू की जा रही अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्यौरा, यदि कोई हो तो, आदि।] ताकि जब कभी भी चयन समिति की बैठक आयोजित हो तो उक्त विवरण अविलंब भेजा जा सके।

8. यदि निर्धारित समय के भीतर संगत विवरण प्राप्त नहीं होते हैं तो यह माना जाएगा कि उक्त पद पर नियुक्ति किए जाने के लिए कोई भी पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है।

9. उक्त पद पर चयन श्री मंदीप प्रकाश और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में दायर वर्ष 2017 की ओ.ए. संख्या 4085 के निर्णय के अधीन है।

(अरविंद कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23036190

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
3. सचिव (टी) और अध्यक्ष डिजिटल संचार आयोग, दूरसंचार विभाग के पीएसओ।
4. डिजिटल संचार आयोग, दूरसंचार विभाग के सदस्य/सदस्यों के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
5. प्रशासक (यूएसओएफ) दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली के प्रधान निजी सचिव ।
6. दूरसंचार विभाग के सलाहकार/सलाहकारों के प्रधान निजी सचिव।
7. दूरसंचार विभाग के सभी वरिष्ठ उप महानिदेशकों के प्रधान निजी सचिव।
8. बेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी, दूरसंचार विभाग।
9. संयुक्त सचिव (टी)/संयुक्त सचिव (ए), दूरसंचार विभाग के प्रधान निजी सचिव।
10. मुख्य महाप्रबंधक, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टीसीआईएल, आईटीआई और बीबीएनएल।
11. सचिव (पीईएसबी) के प्रधान निजी सचिव, ब्लॉक सं.14, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली को उक्त पत्र की एक प्रति को पीईएसबी की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
12. निदेशक (एसीसी) के निजी सचिव, डीओपीटी (एसीसी), स्थापना अधिकारी का कार्यालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उक्त पत्र की एक प्रति को डीओपी एण्ड टी की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
13. निदेशक (पुर्नगठन), दूरसंचार विभाग को दूरसंचार विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए।
14. फाईल और कार्यालय फोल्डर।

फाईल सं. ई-1-5/2018-पीएसए
भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

****

विषय: भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में गवेक्षण-सह-चयन प्रक्रिया के जरिए प्रतिनियुक्ति / तत्काल आमेलन आधार पर निदेशक (वित्त) के पद पर नियुक्ति।

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) का नाम	:	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)
पद का नाम	:	निदेशक (वित्त)
रिक्ति की तिथि	:	दिनांक 01.01.2017
सीपीएसई की अनुसूची	:	अनुसूची 'क'
वेतनमान	:	75000-100000 (औद्योगिक मंहगाई भत्ता-आईडीए)

I. कंपनी का परिचय:

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को 01 अक्तूबर, 2000 के प्रभाव से पूर्व के संचार विभाग की दूरसंचार सेवाएं तथा नेटवर्क प्रदान करने के कार्य व्यापार को हाथ में लेने के उद्देश्य के साथ भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत सितंबर, 2000 में निगमीकृत किया गया था। कंपनी दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश भर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रही है। बीएसएनएल दूरसंचार विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली अनुसूची 'क'/लघुरत्न की श्रेणी वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 166974 नियमित कर्मचारी (कार्यकारी 47116 तथा गैर-कार्यकारी-119858) हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार उक्त कंपनी की प्राधिकृत और प्रदत्त पूँजी क्रमश: 17500 करोड़ रूपए और 12500 करोड़ रूपए हैं।

उक्त कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 99.99% है।

II. कार्य विवरण और उत्तरदायित्व:

निदेशक (वित्त) निदेशक मंडल का सदस्य होता है और वह अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करता है। वह संगठन के वित्त तथा लेखा संबंधी कार्यों का संपूर्ण प्रभारी होता है और वह नीतियों में सुधार करने और संगत नीतियों को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, जिनमें वित्तीय नियोजन, बजट, लागत, वित्तीय नियंत्रण, कॉरपोरेट मानकों तथा वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करना शामिल है।

III. <u>पात्रता:</u>

I. <u>आयु</u>: रिक्ति होने की तारीख को:

सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष			
आंतरिक		अन्य	
न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
45	अधिवर्षिता की आयु की दृष्टि से रिक्ति की तारीख को 2 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।	45	अधिवर्षिता की आयु की दृष्टि से रिक्ति की तारीख को 3 वर्ष की सेवा शेष होनी चाहिए।

2. रोजगार की स्थिति:

आवेदक को आवेदन की तिथि तथा साक्षात्कार की तिथि पर निम्नलिखित में से किसी भी कार्यालय में नियमित सेवा में होना चाहिए - ना कि संविदात्मक/तदर्थ आधार पर:

(क) केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) (किसी सीपीएसई के बोर्ड में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक सहित);

(ख) केन्द्र सरकार में जिसमें संघ के सशस्त्र बल और अखिल भारतीय सेवाएं भी शामिल हैं;

(ग) राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उद्यम (एसपीएसई) जहां वार्षिक कारोबार ***2000 करोड़ रु. या उससे अधिक** है;

(घ) निजी क्षेत्र की ऐसी कंपनी जहां वार्षिक कारोबार ***2000 करोड़ रु. या उससे अधिक है। सूचीबद्ध कंपनियों के अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।**

(* जिस कैलेंडर वर्ष में विज्ञापन दिया गया है उस वर्ष से पहले के तीन वित्त वर्षों के औसत लेखापरीक्षित वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) पर स्वीकृत सीमाओं के अंतर्गत आवेदन देने के लिए विचार किया जाएगा)।

<u>3. अर्हता:</u>

(i) आवेदक को चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा कॉस्ट एकाउंटेंट होना चाहिए अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ या पूर्ण कालिक एमबीए/पीजीडीएम पाठ्यक्रम किया होना चाहिए।

(ii) उपयुक्त स्तर पर कार्यरत लेखा सेवा के संगठित समूह 'क' अधिकारियों [यानी भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय पी एण्ड टी लेखा और वित्त सेवा तथा भारतीय लागत लेखा सेवा] को इन शैक्षणिक योग्यताओं से छूट दी गई है।

(iii) इसके अलावा केंद्र सरकार/संघ की सशस्त्र बलों/अखिल भारत सेवाओं के अभ्यर्थियों को भी उपर्युक्त (i) के अनुसार शैक्षणिक योग्यताओं से छूट दी जाएगी बशर्ते कि अभ्यर्थी निम्नलिखित पैरा 4(iii) में यथा वर्णित 'संगत अनुभव' रखता हो।

संगठित समूह 'क' लेखा सेवाओं/केंद्र सरकार/संघ की सशस्त्र बलों/अखिल भारत सेवाओं चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार के लिए एमबीए/पीजीडीएम वांछनीय शैक्षणिक योग्यता होगी।

4. अनुभव:

(i) अभ्यर्थी के पास किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कॉरपोरेट वित्तीय प्रबंधन तथा लेखा के क्षेत्र में विगत दस वर्ष के दौरान उच्च स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए।

(ii) संगठित समूह 'क' लेखा सेवा के अभ्यर्थियों के पास कॉरपोरेट वित्त प्रबंधन/लेखा के क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों के दौरान उच्च स्तर पर कम से कम पांच वर्ष का संचयी अनुभव होना चाहिए।

(iii) केंद्र सरकार संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारत सेवाओं के अभ्यर्थियों के संबंध में 'संगत अनुभव' में कॉरपोरेट वित्त प्रबंधन/लेखा के क्षेत्र में कम से कम दस वर्षों के दौरान वरिष्ठ स्तर पर कम से कम सात वर्षों का संचयी अनुभव शामिल हैं।

5. वेतनमान/श्रेणी/स्तर

रिक्ति की तारीख को अर्हक वेतनमान/रैंक/लेवल में अपेक्षित सेवा की न्यूनतम अवधि विभागीय अभ्यर्थियों के लिए एक वर्ष तथा अन्य के लिए दो वर्ष की होगी।

(क) सीपीएसई में आवेदकों को आवेदन करने की तिथि को निम्नलिखित अथवा इससे उच्चतर वेतनमान में कार्यरत होना चाहिए:

पात्र वेतनमान

(i) 7250-8250 रू. (आईडीए) 1.1.1992 से पहले
(ii) 9500-11,500 रू. (आईडीए) 01.01.1992 के बाद
(iii) 20500 -26,500 रू. (आईडीए) 01.01.1997 के बाद
(iv) 51300-73000 रू. (आईडीए) 01.01.2007 के बाद
(v) 120000-280000 रू. (आईडीए) 01.01.2017 के बाद
(vi) 18400-22400 रू. (सीडीए) संशोधन-पूर्व
(vii) 37400-67000 + ग्रेड पे (जीपी) 10000 रू. (सीडीए)
(viii) 144200-218200 (स्तर 14 सीडीए)

(ख)

(i) **केन्द्र सरकार/अखिल भारतीय सेवा में कार्यरत आवेदकों** को भारत सरकार में संयुक्त सचिव स्तर के पद पर होना चाहिए अथवा वे समकक्ष वेतनमान ले रहे हों।

(ii) **संघ के सशस्त्र बल के आवेदकों** को सेना में मेजर जनरल स्तर के पद पर होना चाहिए अथवा वे नौसेना/वायुसेना में समकक्ष रैंक में हों।

(ग)

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के आवेदकों को बोर्ड स्तरीय पद पर कार्यरत होना चाहिए अथवा वे बोर्ड स्तर से कम से कम एक स्तर नीचे हो।

6. केन्द्र सरकार के अधिकारियों के लिए प्रतिनियुक्ति/तत्काल आमेलन की शर्त

अखिल भारतीय सेवा तथा संघ के सशस्त्र बल के अधिकारियों सहित केन्द्र सरकार के अधिकारी प्रतिनियुक्ति/तत्काल आमेलन आधार पर विचार लिए जाने हेतु पात्र होंगे।

IV. नियुक्ति की अवधि

नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष या सेवानिवृत्ति की तारीख या अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए होगी।

V. आवेदन जमा करना

सभी आवेदक अनुबंध में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने आवेदन भेजें।

1. सभी आवेदक निम्नानुसार उचित माध्यम से अपने आवेदन जमा करें:

(क) अखिल भारतीय सेवा तथा संघ के सशस्त्र बल सहित सरकारी अधिकारी संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से अपने आवेदन भेजें।

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के प्रमुख महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से अपने आवेदन भेजें।

(ग) कैंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी संबंधित सीपीएसई के माध्यम से अपने आवेदन भेजें।

(घ) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसई) के प्रमुख महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक सचिव और संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, यदि कोई हो, के माध्यम से अपने आवेदन भेजें।

(ङ) राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारी संबंधित एसपीएसई के माध्यम से अपने आवेदन भेजें।

(च) निजी क्षेत्र के अधिकारी अपने आवेदन सीधे दूरसंचार विभाग को भेजें।

2. निजी क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

(क) जिस कैलेंडर वर्ष में पद का विज्ञापन दिया गया था उस वर्ष से पहले की 3 वर्षों की कंपनी की वार्षिक रिपोर्टें **(कृपया यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) का उल्लेख करें अथवा प्रतियां सम्बद्ध करें/ संलग्न करें)**;

(ख) क्या कंपनी सूचीबद्ध है अथवा नहीं; यदि हाँ, तो दस्तावेजी प्रमाण दें **(कृपया यू यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) का उल्लेख करें अथवा प्रतियां सम्बद्ध करें/ संलग्न करें)**;

(ग) बोर्ड स्तर पर अथवा बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के स्तर के कम से कम एक पद पर काम करने के साक्ष्य प्रदान करें;

(घ) उम्र और योग्यता के समर्थित दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां;

(ङ) पूर्व में संभाली गई सुसंगत नौकरियां का विवरण दें।

VI. **आवेदक द्वारा दिया जाने वाला वचन**

एक आवेदक को आवेदन के साथ एक वचन देना होता है कि यदि वह चयनित होता है, तो वह पदभार ग्रहण करेगा/करेगी। यदि कोई आवेदक इस तरह का वचन नहीं देता है, तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

1. **केंद्र सरकार / संघ/अखिल भारतीय सेवाओं के सशस्त्र बलों के उम्मीदवारों के लिए:**

(क) नियुक्ति प्रतिनियुक्ति/तत्काल आमेलन के आधार पर है।

(ख) यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार होने के बाद कार्यभार संभालने के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट करता है, तो केन्द्रीय सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पद पर साक्षात्कार की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ग) इसके अलावा, यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति की पेशकश के जारी होने के बाद अपनी अनिच्छा प्रकट करता है, तो केन्द्रीय सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पद पर साक्षात्कार की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

2. **सीपीएसई के उम्मीदवारों के लिए**

(क) यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार होने के बाद कार्यभार संभालने के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट करता है, तो बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति हेतु उसके नाम पर अपने मूल उपक्रम के अलावा केन्द्रीय सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उसके साक्षात्कार की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) इसके अलावा, यदि कोई उम्मीदवार नियुक्ति की पेशकश के जारी होने के बाद पदभार ग्रहण करने के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट करता है, तो बोर्ड स्तर के पद पर नियुक्ति हेतु उसके नाम पर अपने मूल उपक्रम के अलावा केन्द्रीय सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उसके साक्षात्कार की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

3. **राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसई)/निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए**

(क) यदि कोई उम्मीदवार साक्षात्कार होने के बाद कार्यभार संभालने के लिए अपनी अनिच्छा प्रकट करता है, तो केन्द्रीय सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पद पर साक्षात्कार की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) इसके अलावा, यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति की पेशकश के जारी होने के बाद अपनी अनिच्छा प्रकट करता है, तो केन्द्रीय सरकार के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) में बोर्ड स्तर के पद पर साक्षात्कार की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. ऊपर्युक्त मामलों में, छूट अथवा अन्यथा किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

दूरसंचार विभाग को विधिवत रूप से पूरी तरह भरे गए आवेदन को अग्रेषित करने पर इसके प्राप्त होने की अंतिम समय/तिथि **13.03.2020 को 15.00 बजे तक** है। निर्धारित समय/तारीख के बाद किसी भी आवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय/तिथि के बाद प्राप्त होने वाले और अपूर्ण आवेदनों को **अस्वीकार** कर दिया जाएगा।

गवेक्षण सह चयन समिति के पास साक्षात्कार के लिए आवेदकों को चयन करने का अधिकार सुरक्षित है।

आवेदन

सचिव (दूरसंचार),
दूरसंचार विभाग,
कमरा सं. 415, संचार भवन,
20, अशोका रोड, नई दिल्ली -110001

को संबोधित किए जाएंगे।

सभी पत्राचार केवल **सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग** को ही सम्बोधित किए जाने चाहिए।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई)/केन्द्र सरकार (केन्द्र सरकार के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं सहित)/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (एसपीएसई)/निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र

(निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को छोड़कर उचित माध्यम (प्रोपर चैनल) से)

इस पद से संबंधित कार्य की जानकारी के विवरण के लिए कृपया दूरसंचार विभाग की वेबसाइट (www.dot.gov.in) को देखें।

फोटो चिपकाएं

1.	आवेदन किए गए पद का नाम	
2.	(क). आवेदक का नाम (कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार श्री/श्रीमती/सुश्री)	
	(ख) आवेदक का पदनाम (पूरा)	
	(ग) कंपनी का नाम	
	(घ) रोजगार की स्थिति के अनुसार श्रेणी (कृपया यथालागू टिक करें)	(सीपीएसई /केन्द्र सरकार /केन्द्र सरकार के सशस्त्र बल/अखिल भारतीय सेवाओं/ एसपीएसई/निजी क्षेत्र के अधिकारी)
	(ङ) कार्यालय का पता	
	(च) पत्राचार का पता	
3.	टेलीफोन नं. कार्यालय आवास:	

	मोबाइल नं. ई-मेल:आईडी	
4.	जन्म तिथि(दिन/मास/वर्ष) रिक्ति की तारीख को आयु (वर्ष/महीने/दिन)	

5. (i) शैक्षणिक/व्यवसायिक अर्हताएं:

क्र. सं.	अर्हताएं *	संस्था का नाम	अध्ययन की अवधि		संबंधित कॉलम को टिक करें			संबंधित कॉलम को टिक करें			इस आशय की स्व-घोषणा कि वांछित शैक्षणिक योग्यता को पूरी करते हैं		
1	2	3	4		5			6			7		
			से	तक	अंश कालिक	पूर्ण कालिक	पत्राचार	डिग्री	डिप्लोमा	सर्टिफिकेट	आवश्यक	वांछनीय	अन्य

*यह पूरी तरह विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/प्रमाण-पत्र के अनुसार होना चाहिए।

(ii) दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर इस रिक्ति से संबंधित परिपत्र अपलोड करने की तारीख से विगत दस वर्षों के दौरान धारित पद।

क्र. सं.	पूरा पदनाम और तैनाती का स्थान*	संगठन का नाम	वेतनमान **	अवधि		अधिकारी जिसे रिपोर्ट करते हैं उनका पदनाम*	इस आशय की स्व-घोषणा कि आवश्यक अनुभव संबंधी योग्यता को पूरी करते हैं		यदि हां, तो घोषणा के समर्थन में ड्यूटी की प्रकृति
1	2	3	4	5		6	7		8
				से	तक		हां	नहीं	

*यह यथार्थत: सीपीएसई/मंत्रालय/एसपीएसई/नियोक्ता द्वारा जारी किए गए विशिष्ट कार्यालय आदेश के अनुसार होना चाहिए।

**निजी क्षेत्र-सीटीसी/आहरित पारिश्रमिक/परिलब्धियां।

कृपया ध्यान दीजिए: पदों को एकदम हाल ही की नियुक्तियों के क्रम में दर्शाया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 1. अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में एक **विवरण** संलग्न करें जो **3500 शब्दों से अधिक न हो** ताकि साक्षात्कार के दौरान इस विवरण का अवलोकन किया जा सके। सभी प्रयुक्त संक्षप्तियों के संपूर्ण रूप को अक्षरों की निर्धारित सीमा के भीतर ही दर्शाएं।

6. (क) क्या आपका अपने मौजूदा संगठन के अलावा किसी अन्य संगठन में पुनर्ग्रहणाधिकार (लियन) है? हां/नहीं

यदि हां:

i संगठन का नाम जिसमें पुनर्ग्रहणाधिकार है:

ii ऐसे पुनर्ग्रहणाधिकार की तारीख :

(ख) क्या आप प्रतिनियुक्ति पर हैं? हां/नहीं

यदि हां:

i मूल संगठन का नाम:

i i आप किस तारीख से प्रतिनियुक्ति पर हैं:

7. (क) क्या विगत 10 वर्षों के दौरान आवेदक को कोई जुर्माना/ दण्ड दिया गया था? हां/नहीं

यदि हां तो उसका ब्यौरा दें:

i) सिविल/आपराधिक ii) विभागीय जांच

(ख) अभ्यर्थी के ज्ञान के अनुसार, क्या उसके विरूद्ध कोई सिविल अथवा आपराधिक कार्रवाई अथवा जांच चल रहीं है? हां/नहीं

यदि हां, तो उसका विवरण दें:

i) सिविल/आपराधिक ii) विभागीय जांच

में यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पूरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार कॉलम 1 से 7 में दिया गया और यथा लागू विवरण, पूर्णतया सत्य है। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं पद के लिए विज्ञापन में दिए गए पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करता/करती हूँ।

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

8. कैलेण्डर वर्ष जिसमें पद का विज्ञापन दिया गया है, उससे पहले के 3 वित्त वर्षों का उस कंपनी का लेखापरीक्षित वार्षिक कारोबार "टर्न ओवर" **जिसमें आप इस समय कार्यरत हैं** (उदाहरणार्थ - कैलेण्डर वर्ष 2017 में विज्ञापित पद के लिए वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16)।

कंपनी, जिसमें अभ्यर्थी इस समय कार्यरत है	वर्ष	कंपनी का वार्षिक कारोबार (करोड़ रू. में)

(i) कृपया कंपनी की वेवसाइट का यूआरएल और सीआईएन (कारपोरेट पहचान संख्या) लिखें:

(क) यूआरएल (कंपनी वेवसाइट पता)..

(ख) सीआईएन (कारपोरेट पहचान संख्या)..

(ii) मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि हां/नहीं

(क) मैं बोर्ड स्तरीय पद पर नियुक्त हूँ:

यदि हां: कृपया अपनी डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या) लिखें:.............................

(ख) बोर्ड स्तरीय पद से तत्काल निचले पद पर नियुक्त हूं हां/नहीं

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पूरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार कॉलम संख्या 1 से 8 में दिया गया और यथालागू विवरण, पूर्णतया सत्य है। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं विज्ञापित पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा करता/करती हूँ।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

निजी क्षेत्र

8. कैलेण्डर वर्ष जिसमें पद का विज्ञापन दिया गया है, उससे पहले के 3 वित्त वर्षों का उस कंपनी का लेखापरीक्षित वार्षिक कारोबार "टर्न ओवर" जिसमें **आप इस समय कार्यरत हैं** (उदाहरणार्थ-कैलेण्डर वर्ष 2017 में विज्ञापित पद के लिए वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16)।

कंपनी, जिसमें अभ्यर्थी इस समय कार्यरत है	वर्ष	कंपनी का वार्षिक कारोबार (करोड़ रू. में)*

* यदि वार्षिक कारोबार "टर्न ओवर" (एटीओ) विदेशी मुद्रा में है तो दूरसंचार विभाग की वेवसाइट पर रिक्ति (विज्ञापन) को अपलोड करने की तारीख की स्थिति के अनुसार विनिमय दर का उल्लेख करें।

(i) कृपया कंपनी की वेवसाइट का यूआरएल और सीआईएन (कारपोरेट पहचान संख्या) लिखें:

(क) यूआरएल (कंपनी वेवसाइट पता)..
(ख) सीआईएन (कारपोरेट पहचान संख्या)...

(ii) मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि हां/नहीं
(क) मैं बोर्ड स्तरीय पद पर नियुक्त हूँ:
यदि हां: कृपया अपनी डीआईएन (निदेशक पहचान संख्या) लिखें:
(ख) बोर्ड स्तरीय पद से तत्काल निचले पद पर नियुक्त हूं हां/नहीं

(iii) आप जिस कंपनी में कार्यरत है क्या वह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है: हां/नहीं

स्टॉक एक्सचेंज ....
सूचीबद्ध होने का प्रमाण ....पर देख सकते हैं (कृपया यूआरएल प्रदान करें)।

(iv) आयु एवं शैक्षिक योग्यता के प्रमाण के लिए स्व-प्रमाणित प्रतियां (संलग्न हैं)।

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पूरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार कॉलम संख्या 1 से 8 में दिया गया और यथालागू विवरण, पूर्णतया सत्य है। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं विज्ञापित पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदण्ड को पूरा करता/करती हूँ।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

<u>घोषणा</u>

मैं...................................सुपुत्र/सुपुत्री...एतदद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 अथवा अन्य किन्ही धाराओं के तहत निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

वचनबद्ध (यथालागू)

केन्द्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं/एसपीएसई के अभ्यर्थियों के लिए

यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति/तत्काल आमेलन के आधार पर है। यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मैं एतदद्वारा पदभार ग्रहण करने का वचन देता/देती हूँ। मुझे यह ज्ञात है कि:

(क) यदि मैं साक्षात्कार होने के बाद, परन्तु नियुक्ति-प्रस्ताव जारी होने से पहले, कार्यभार ग्रहण में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती हूँ, तो मुझे किसी भी सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय पद के लिए विचार करने हेतु, साक्षात्कार की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त, यदि मैं नियुक्ति-प्रस्ताव जारी होने के बाद, कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती हूँ, तो मुझे किसी भी सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय पद के लिए विचार करने हेतु, साक्षात्कार की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

दिनांक:

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

सीपीएसई के अभ्यर्थियों के लिए

यदि मेरा चयन हो जाता है, तो एतदद्वारा मैं पदभार ग्रहण करने का वचन देता हूँ/देती हूँ। मुझे यह ज्ञात है कि:

(क) यदि मैं साक्षात्कार होने के बाद, परन्तु नियुक्ति-प्रस्ताव जारी होने से पहले, कार्यभार ग्रहण में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती हूँ, तो मुझे अपने सीपीएसई को छोड़कर, किसी भी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय पद के लिए विचार करने हेतु, साक्षात्कार की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त, यदि मैं नियुक्ति-प्रस्ताव जारी होने के बाद, कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती हूँ, तो मुझे अपने सीपीएसई को छोड़कर, किसी भी अन्य सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय पद के लिए विचार करने हेतु, साक्षात्कार की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

दिनांक:

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

निजी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

यदि मेरा चयन हो जाता है, तो एतदद्वारा मैं पदभार ग्रहण करने का वचन देता/देती हूँ। मुझे यह ज्ञात है कि:

(क) यदि मैं साक्षात्कार होने के बाद, परन्तु नियुक्ति-प्रस्ताव जारी होने से पहले, कार्यभार ग्रहण में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती हूँ, तो मुझे किसी भी सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय पद के लिए विचार करने हेतु, साक्षात्कार की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

(ख) इसके अतिरिक्त, यदि मैं नियुक्ति-प्रस्ताव जारी होने के बाद, कार्यभार ग्रहण करने में अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती हूँ, तो मुझे किसी भी सीपीएसई में बोर्ड स्तरीय पद के लिए विचार करने हेतु, साक्षात्कार की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

दिनांक:

(आवेदक का नाम और हस्ताक्षर)

<u>सत्यापन</u>

(सीपीएसई/केन्द्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं/एसपीएसई के नामोद्दिष्ट अधिकारी द्वारा भरा जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिए गए विवरण की संवीक्षा कर ली गई है और इसे सरकारी रिकार्ड के अनुसार सही पाया गया है।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम
दूरभाष सं. और ई-मेल पते सहित)

*****